धीस्या ... ८ - २ -

तारीख हुक्म	
	...
18-5-2021	पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी/प्रतिवादी/~~ सरकार द्वारा महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लोकडाउन ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ ~~उपस्थित हैं/अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य~~ कोविड-19 कार्यो में व्यस्त हैं/~~का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15-6-2021 को पेश हो। रीडर
15-6-2021	पत्रावली पेश हुई। कोविड-19 के कारण कोई उपस्थित नहीं है। वास्ते बहस पत्रावली दि० 7-7-2021 को पेश हो।
7-7-2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। लैण्ड होल्डर उप०। बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रा०पत्र 136 L.R. Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप. जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:12:16 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बर	दायर तारीख	तारीख निर्णय
35/2021	15.01.2021	7.7.2021

घीस्या उर्फ घनश्याम जाति गुर्जर निवासी ग्राम तलावडा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (राज0) —प्रार्थी

बनाम

लैण्डहोल्डर, जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :—श्री तरूण कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि हाल खसरा नम्बर 1494/1565 रकवा 0.13 हेक्टर, ख0नं0 1754/1500 रकवा 0.78 किता 2 कुल रकवा 0.91 हेक्टर प्रार्थी खातेदारी व कब्जे काश्त भूमि है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/4 रिकार्ड में अंकित है। उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे की भूमि है। जिस पर प्रार्थी काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। जिससे प्रार्थी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का कोई सरोकर या वास्ता नही है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में घीस्या के जगह घनश्याम नाम अंकित कर दिया जबकि प्रार्थी के पिता का नाम का कोइ पुत्र नही है प्रार्थी घीस्या व घनश्याम एक ही व्यक्ति है घनश्याम प्रार्थी का बोलता नाम है जबकी सरकारी व गैरसरकारी कागजात में प्रार्थी का नाम घीस्या अंकित है। प्रार्थी को पूर्व इन्द्राज की कोई जानकारी नहीं रही है। प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड की दिनांक 15.01.2021 को नकल लेने से उक्त भूल की जानकारी हुई। उक्त भूल सद्भाविक है जिसका संशोधन किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का नाम हाल खसरा नम्बर 1494/1565 रकवा 0.13 हेक्टर, ख0नं0 1754/1500 रकवा 0.78 है0 किता 2 कुल रकवा 0.91 हेक्टर नया खाता सं0 194 पुराना खाता सं0 274 स्थित ग्राम तलावडा तहसील गंगापुर सिटी के राजस्व जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम घनश्याम के स्थान पर घीस्या संशोधित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:12:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2070—73 खाता संख्या 194 ग्राम तलावडा, फोटोकॉपी आधार कार्ड, फोटोकॉपी मतदाता पहचान पत्र, फोटोकॉपी राशन कार्ड प्रस्तुत की है।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर (सं0गं0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, सत्यमेव जयते, गंगापुर सिटी (राज0)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी से प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट मांगी गई।

अप्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि ग्रामवासियों द्वारा बताये अनुसार बद्री गुर्जर की मृत्यु लगभग 4 या 5 वर्ष पूर्व होने पर विरासत का नामान्तरण खुला, जिसमें घीस्या का बोलता नाम घनश्याम दर्ज कर दिया, जबकि सभी दस्तावेजों में घीस्या नाम दर्ज है। मौके पर घीस्या की मां द्वारा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड के साथ सरपंच ग्राम पंचायत तलावडा का प्रमाण पत्र पेश किया जिसमें नाम घनश्याम न होकर घीस्या दर्ज है। घीस्या एवं घनश्याम पुत्र बद्री गुर्जर एक ही व्यक्ति है।

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी को सुना गया। उभयपक्षकारों ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करंने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अप्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार घीस्या एवं घनश्याम एक ही व्यक्ति है। विरासत के नामान्तकरण के दौरान प्रार्थी का नाम घीस्या के स्थान पर घनश्याम दर्ज कर दिया गया। जबकि अन्य अभिलेख मे प्रार्थी का नाम घीस्या दर्ज है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 194 ग्राम तलावडा में दर्ज प्रविष्टि "घनश्याम पुत्र बद्री हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार" के स्थान पर प्रविष्टि "घीस्या पुत्र बद्री हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार" दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे।

पत्रावली फैसलशुदा होकर नियम से जमा हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7.7.2021 को [illegible] न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:12:16 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)